2018/00121

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्रीमती छगन सिंह पंवार पुत्र श्री मोहब्बत सिंह पंवार
जाति राजपुत निवासी नया खेडा
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही

सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 78 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.12.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 18.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पटवार कार्यालय सांतपुर में कार्यरत् सदाराम वजाजी निवासी सांतपुर के संबंध में सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आबूरोड से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 18.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया पटवार कार्यालय सांतपुर में कार्यरत सदाराम वजाजी निवासी सांतपुर से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। तहसीलदार आबूरोड द्वारा अपीलांट चाही गई सूचना जरिये पत्र कमांक भू अभिलेख 2018/3396 दिनांक 13.11.2018 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner